नाथू - ओमप्रकाश 34/2014

| दिनांक | आज्ञा पत्र |
| --- | --- |
| 18.1.24 | पत्रावली पेश। [illegible] अपील कार्य [illegible] दिनांक 2.2.24 को पेश हो। |
| 2.2.24 | पत्रावली पेश। [illegible] अपील कार्य [illegible] दिनांक 4.3.24 को पेश हो। |
| 4.3.24 | पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ में आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22.4.24 को पेश हो। |
| 22.4.24 | पत्रावली पेश। [illegible] अपील कार्य [illegible] दिनांक 20.5.24 को पेश हो। |
| 20.5.24 | पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ में आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.6.24 को पेश हो। |
| 21.6.24 | पत्रावली पेश। [illegible] अपील कार्य [illegible] दिनांक 19.7.24 को पेश हो। |
| 19.7.24 | पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो। |
| 5/8/24 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखायां जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। |

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 94 / 2014

1 नाथू पुत्र बालूराम जाति मेघवंशी निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर

अपीलांट / अप्रार्थी संख्या 2 / प्रतिवादी संख्या 2

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र सागर
2 श्रवण पुत्र सागर
3 बाबूलाल पुत्र सागर
4 रामचन्द्र पुत्र सागर
5 श्रवणी उर्फ कुणणी पत्नी सागर
समस्त जाति मेघवंशी निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर राज.

रेस्पोडेन्ट / प्रार्थीगण / वादीगण

6 लिछमणराम पुत्र माला जाति मेघवंशी निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर राज.।
7 उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर।
8 तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।
9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कटराथल जिला सीकर जरिये मैनेजर।
10 पूरणमल पुत्र कालूराम
11 कैलाश पुत्र नारायण
12 मनीराम पुत्र नारायण
जाति मेघवंशी निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर राज.

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.05.2014 मु.नं. 114/2011 न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर बउनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम लिछमणराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 114/2011 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 आवेदन अन्तर्गत धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 398 वाके ग्राम तारपुरा तहसील व जिला सीकर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज सागर ने अपनी घरेलू विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वादग्रस्त भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 1 को किया तथा उक्त विक्रय पत्र अस्तित्व में है तथा उक्त विक्रय पत्र को प्रार्थीगण ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है तथा जब तक विक्रय पत्र अस्तित्व में है तब तक प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की सहायता पाने के अधिकारी नहीं है। विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया विक्रय शून्य नहीं होता है। प्रार्थीगण के पूर्वज ने जो विक्रय किया था उसमें उसको पुत्र बबलेश साक्षी है तथा विक्रय सबकी जानकारी में किया गया था किन्तु बाद में सागर के वारिसान प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आने से वाद व आवेदन प्रस्तुत किया है जो आवेदन मेलाफाईड होने से तथा क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आने के कारण निरस्त होने योग्य था। विचारण न्यायालय ने वाद व आवेदन विक्रेता खातेदार सागर के वारिसान ने प्रस्तुत किया है तथा उक्त वाद व आवेदन भागोती द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त बिन्दू वाद व आवेदन में नहीं उठाया गया है तथा न भागोती पक्षकार है किन्तु विचारण न्यायालय ने स्व. नाराणा की जायदा पुत्रियों व बेवा को वैधानिक उत्तराधिकार मानकर तथा साक्ष्य सबूतों के आधार पर निस्तारण करने का निष्कर्ष निकाल कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने में भारी भूल की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रतिफल लेकर अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 398 रकबा 4.05 हैक्टेयर का अपना हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण अप्रार्थी संख्या 2/अपीलांट को विक्रय कर दिया तथा अपीलांट उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त व अधिकार वादग्रस्त भूमि में नहीं है फिर भी विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर लिया जो निर्णय अपास्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

उप खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सांकरा

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि जमाबंदी ग्राम तारपुरा संवत 2058 से 2061 में खसरा नम्बर 398 सागर, मनीराम कैलाश पिता नारायण हिस्सा 1/3 दर्ज है। जिस में से सागर का हिस्सा 1/9 का खातेदारी विक्रय पत्र के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 777 दिनांक 11.06.2004 अप्रार्थी संख्या 1 लिछमण पुत्र मालाराम के नाम दर्ज हुआ। प्रस्तुत मिसल बंदोबस्त संवत 2041 से 2060 ग्राम तारपुरा के अनुसार नारायण पुत्र मेदू कौम मेघवंशी सा. के खिरोड हिस्सा 1/3 के नाम खातेदारी दर्ज है। नारायण के फौत होने पर विरासत में जरिये नामान्तरण संख्या 147 सागर, मनीराम एवं कैलाश के नाम स्वीकार हुआ है। उक्त नामान्तरण की अपील भागोती जो की नारायण की जाईन्दा पुत्री है के द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत करने पर दिनांक 24.01.2013 को नामान्तरण संख्या 147 निरस्त कर तहसीलदार सीकर को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया है कि मृतक नारायणा के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः अपना विधि सम्मत आदेश पारित करें। इस प्रकार स्व. नारायणा के वारिसान के संबध में अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार स्व. नारायणा के पुत्रों के अलावा उनकी जाईन्दा पुत्रियों तथा उसकी बेवा वैधानिक उत्तराधिकारी है। इस बिन्दु पर उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एव सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना शेष है। दावे के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि का विक्रय होता है तो पक्षकारों में वाद बाहुल्यता होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी ग्राम तारपुरा संवत 2058 से 2061 में खसरा नम्बर 398 सागर, मनीराम कैलाश पिता नारायण हिस्सा 1/3 दर्ज है। जिस में से सागर का हिस्सा 1/9 का

खाता विक्रय पत्र के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या [illegible] दिनांक [illegible] 2004 अप्रार्थी संख्या 1 लिखमा पुत्र [illegible] के नाम दर्ज हुआ। उक्त मिसल बंदोबस्त संवत 2041 से 2060 ग्राम [illegible] के अनुसार [illegible] पुत्र सेडू कौम मेघवंशी सा. के खिवेट हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज है नारायण के फौत होने पर विरासत में जरिये नामान्तरकरण संख्या 147 [illegible] मनीराम एवं कैलाश के नाम स्वीकार हुआ है। उक्त नामान्तरकरण की अपील भागोती जो की नारायण की जाईन्दा पुत्री है के द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत करने पर दिनांक 24.01.2013 को नामान्तरकरण संख्या 147 निरस्त कर तहसीलदार सीकर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि मृतक नारायणा के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः अपना विधि सम्मत आदेश पारित करें। इस प्रकार स्व. नारायणा के वारिसान के संबंध मे अंतिम निर्णय पारित नही किया गया है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार स्व. नारायणा के पुत्रों के अलावा उनकी जाईन्दा पुत्रियो तथा उसकी बेवा वैधानिक उत्तराधिकारी है। इस बिन्दु पर उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एव सबूतो के आधार पर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना शेष है। दावे के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि का विक्रय होता है तो पक्षकारो मे वाद बाहुल्यता होती है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने मे कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमे कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमे हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम [illegible])
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 94/2014

नाथु बनाम ओमप्रकाश आदि

प्रार्थना पत्र धारा 151 बाबत

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः– 05.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 114/2011 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में धारा 151 का आवेदन प्राप्त होने पर उभयपक्ष को धारा 151 पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 398 रकबा 4.05 हैक्टेयर वाके ग्राम तारपुरा के सम्बंध में विचारण न्यायालय में वाद व टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 10 से 12 को पक्षकार नहीं बनाया गया। जो विचारण न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बने। क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 10 से 11 का संयुक्त 1/3 हिस्सा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 12 का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा है। विचारण न्यायालय में सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश होने से प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 10 से 12 अपनी भूमि की सही रूप से काश्त नहीं कर पाते है तथा सरकार से मिलने वाली सहायताओं से वंचित होना पड़ रहा है जिनका अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या1से 5

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा ना ही विचारण न्यायालय में पक्षकार थे। संयुक्त खातेदारी होने के कारण सम्पूर्ण भूमि पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.05.2014 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। जिससे प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 10 से 12 को स्थगन मुक्त किया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेंट की तामील पूर्ण हो चुकी है। तहत का रिकार्ड प्राप्त हो चुका है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय के निर्णय में आंशिक छूट प्रदान किया जाना विधि सम्मत नही है। रेस्पोडेंट का आवेदन सारहीन है खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेंट की तामील पूर्ण हो चुकी है। तहत का रिकार्ड प्राप्त हो चुका है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय के निर्णय में आंशिक छूट प्रदान किया जाना विधि सम्मत नही है। चूकिं पत्रावली अन्तिम बहस में है। अत प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित प्रतीत होता है फलस्वरूप रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 151 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर